

**रुचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध
(परामर्शी सेवाएँ – परामर्शदाता व्यक्ति)**

तिथि : अगस्त 03, 2022

देश : भारत

परियोजना : ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम साझेदारी सुविधा (पीआरएसएफ़) परियोजना

अनुदान संख्या : TF019308 (जीईएफ़ संख्या) और TF019230 (सीटीएफ़ संख्या)

परियोजना सं. : P128921/P132620 A

कार्य का नाम : पीआरएसएफ़ परियोजना के अंतर्गत पाँच तकनीकी अधिकारियों की सेवाएँ लेना

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को **ऊर्जा दक्षता हेतु आंशिक जोखिम साझेदारी सुविधा (पीआरएसएफ़) परियोजना** की लागत के प्रति विश्व बैंक से वित्तपोषण प्राप्त हुआ है और वह प्राप्त राशि का एक हिस्सा परामर्श सेवाओं के लिए उपयोग करना चाहता है।

परामर्शी सेवाओं में 'पाँच तकनीकी अधिकारियों' की सेवाएँ लिया जाना शामिल है, जो विशेषज्ञ के रूप में सेवा प्रदान करेंगे। प्रदान की जाने वाली सेवाओं का निदर्शी विवरण <https://www.sidbi.in/en/tenders> और <http://prsf.sidbi.in/> पर 'काम का दायरा' के अंतर्गत दिया गया है।

सिडबी अब उक्त सेवाएँ प्रदान करने में रुचि की अभिव्यक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों ("परामर्शदाता") से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इच्छुक परामर्शदाता यह निदर्शित करते हुए जानकारी प्रदान करें कि संलग्नक-II के अनुसार सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए उनके पास आवश्यक योग्यताएँ और प्रासंगिक अनुभव है। चयन के लिए पात्र अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करने के मापदंड और अन्य विवरण 'काम का दायरा' और संलग्नक-I में उपलब्ध हैं।

विशेषज्ञ का चयन, विश्व बैंक के दिशानिर्देश : विश्व बैंक के उधारकर्ताओं द्वारा [आईबीआरडी ऋणों और आईडीए ऋणों एवं अनुदानों के अधीन] परामर्शदाताओं का चयन और नियोजन, जनवरी, 2011 संस्करण (जुलाई, 2014 में पुनरीक्षित) ["परामर्शदाता दिशानिर्देश"¹] में निर्धारित 'व्यक्तिगत परामर्शदाताओं [आईसी] का चयन' के अनुसार किया जाएगा।

¹ <http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf>

इच्छुक विशेषज्ञों / परामर्शदाताओं का ध्यान विश्व बैंक के दिशानिर्देश पैरा 1.9 : विश्व बैंक के उधारकर्ताओं द्वारा परामर्शदाताओं का चयन और नियोजन [आईबीआरडी ऋणों और आईडीए ऋणों एवं अनुदानों के अधीन] ² की ओर आकृष्ट किया जाता है। इसके अलावा, कृपया इस कार्य-दायित्व (असाइनमेंट) से संबंधित हितों के टकराव के संबंध में निम्नलिखित विशिष्ट जानकारी देखें,

विश्व बैंक की नीति के अनुसार यह अपेक्षित है कि परामर्शदाता पेशेवर, वस्तुगत और पक्षपात-रहित सलाह प्रदान करें और किसी भावी कार्य-लाभ पर विचार किए बिना, सदैव ग्राहक का हित सर्वोपरि रखें, तथा उसका अन्य कार्य-दायित्वों या अपने कॉर्पोरेट हितों के साथ किसी प्रकार का टकराव न होने दें। परामर्शदाताओं की सेवा किसी ऐसे कार्य-दायित्व के लिए नहीं ली जाएगी, जिसके कारण किन्हीं अन्य ग्राहकों के प्रति उनके किसी पूर्ववर्ती या वर्तमान दायित्व संबंधी हितों का टकराव होता हो, या जो उधारकर्ता के सर्वोत्तम हित में कार्य-दायित्व पूरा करने में उन्हें असमर्थ बनाता हो।

रुचि की अभिव्यक्ति दिनांक 12 अगस्त, 2022 (1600 बजे) तक नीचे दिए गए पते पर (व्यक्तिगत रूप में, या डाक द्वारा, या ई-मेल द्वारा) लिखित रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

सेवा में

महाप्रबंधक,
ग्रीन क्लाइमेट एवं ऊर्जा दक्षता केन्द्र
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी),
10वां तल, आत्मा राम हाउस,
1, टॉल्सटॉय मार्ग,
नई दिल्ली - 110 001

ई-मेल : sidbi_prsf@sidbi.in

दूरभाष : +91-11-23448366/ 23448343

अधिक जानकारी उपर्युक्त पते से कार्यालय समय [1000 से 1700 बजे] के दौरान प्राप्त की जा सकती है।

अधिक विवरण के लिए संलग्नक-I एवं संलग्नक-II के साथ 'काम का दायरा' देखें।

² <http://pubdocs.worldbank.org/en/894361459190142673/ProcurementConsultantHiringGuidelinesEngJuly2014.pdf>